सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मैनुअल – 4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

(The Norms set by it for the Discharge of its Functions)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड में
कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

(The Norms set by it for the Discharge of its Functions)

बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम निम्नानुसार हैं।

- ❖ बोर्ड के कोष एवं अन्य मामलों का यथोचित प्रशाासन।
- ❖ बोर्ड के कर्मचारियों के दायित्वों एवं कृत्यों का निर्धारण।
- ❖ बोर्ड के समस्त कर्मचारियों के कृत्यों एवं आचरण पर प्रशासनिक नियंत्रण, कार्यवाही तथा पर्यवेक्षण।
- ❖ बोर्ड की परियोजनाओं का संचालन।
- ❖ बोर्ड से सम्बन्धित प्रकरणों को समन्वित करना।
- ❖ अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से निदेशक अपने कर्तव्यों का लिखित रूप से बोर्ड के किसी अधिकारी को प्रतिनिर्धारित कर सकेगा।
- ❖ बोर्ड के दायित्वों के निर्वहन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निदेशक अध्यक्ष के लिखित पूर्वानुमोदन से विशेषज्ञ अथवा सलाहकार की नियुक्ति हेतु विशिष्ट दल/कमेटी का गठन कर सकेगा, ऐसे विशेषज्ञ/सलाहकार अवैतनिकि होंगे किन्तु उनको शासन द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ते और मानदेय देय होगा।
- ❖ प्रबन्ध परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 5–ए के प्राविधानों के अधीन रहते हुए पारित प्रस्तावों के अनुरूप बोर्ड की ओर से समस्त बंधनों, समझौतों, निविदाओं को हस्ताक्षरित करने के लिए निदेशक अधिकृत होंगे।
- ❖ बोर्ड पर दायर होने वाले वादों अथवा बोर्ड द्वारा दायर किये जाने वाले वादों का निदेशक पद नाम से वादों में निदेशक बोर्ड के किसी एक अथवा एक से अधिक अधिकारियों को पैरवी करने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकेगा।
- ❖ प्रस्तावित कार्यों के लक्ष्य प्राप्ति की समय–सीमा वार्षिक रूप से निर्धारित है।
- ❖ शिकायतों के निवारण हेतु बोर्ड द्वारा शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।

कृत्यों के निर्वहन हेतु मानक

1– श्रमिकों को कार्य अवधि में पूर्ण समय उपस्थित रहना होगा, अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में श्रमिक की मजदूरी की कटौती की जायेगी व टास्क के अनुसार कार्य न होने पर कार्य की मात्रानुसार रोजगार दिया जायेगा (Pro-rate)

2– पूर्ण समय कार्य न करने वाले व टास्क पूरा न करने वाले श्रमिकों को कार्य/समय के अनुसार मजदूरी भुगतान किया जायेगा।

3– केवल कास्तकार द्वारा पूर्व में नामित कार्यरत श्रमिक की उपस्थिति ही मान्य होगी।

4– कार्य न करने व अनुशासनहीनता करने पर चेतावनी दी जायेगी, उसके उपरान्त भी कार्य में सुधार न पाये जाने पर कार्य से हटा दिया जायेगा।

5– कार्य के सम्बन्ध में प्रबन्धक/प्रभारियों द्वारा स्वयं आदेश जारी किये जायेंगे।

कार्य के मापदण्ड/टास्कः–

1. गहरी खुदाई खाली क्षेत्रों में (गेंठी से) – 5 टंग प्रति मानव दिवस
2. गहरी खुदाई रोपित चाय की लाइनों मे (गेंठी से) – 12 टंग प्रति मानव दिवस
3. चिलिंग तथा समतलीकरण (फावड़े से) – 13 टंग प्रति मानव दिवस
4. पौंधों के कॉलर क्षेत्र में गुड़ाई (कुदाल से) (थली) – 13 टंग प्रति मानव दिवस
5. **खाद डालनाः–**

(क) यंग टी में – 30 टंग प्रति मानव दिवस

(ख) पुराने पौधों में – 100 टंग प्रति मानव दिवस

6. फोलियर स्प्रे (स्प्रे पम्प से) – 100 टंग प्रति मानव दिवस
7. कीटनाशक स्प्रे (स्प्रे पम्प से) – 75 टंग प्रति मानव दिवस
8. **हर्बीसाईट स्प्रे (स्प्रे पम्प से)**

(क) ब्लैंकेट स्प्रे – 75 टंग प्रति मानव दिवस

(ख) स्पॉट स्प्रे–1 – 150 टंग प्रति मानव दिवस

(ग) स्पॉट स्प्रे–2 – 300 टंग प्रति मानव दिवस

9. खाली क्षेत्रों में हर्बीसाईट स्प्रे – 100 टंग प्रति मानव दिवस
10. गढ्ढे खोदना (45 से.मी. X 45 से.मी.) – 80 गढ्ढे प्रति मानव दिवस
11. चाय पौंध रोपण – 80 पौंध प्रति मानव दिवस
12. **सिकलिंग कार्यः–**

(क) खाली क्षेत्र में – 40 टंग प्रति मानव दिवस

(ख) पुराने बागान में – 60 टंग प्रति मानव दिवस

(ग) यंग टी में – 40 टंग प्रति मानव दिवस

13. नाली खोदनाः–

(क) आइसोलेशन ड्रेन (3 फिट X 1.5 फिट) – 1 टंग प्रति मानव दिवस (12 फिट)

(ख) इण्टरसेप्टर ड्रेन (3 फिट X 1.5 फिट) – 1 टंग प्रति मानव दिवस (12 फिट)

(ग) कन्टूर ड्रेन (1 फिट X 1 फिट) – 10 टंग प्रति मानव दिवस (120 फिट)

14. पत्ती तुड़ाईः–	**आसाम प्रजाति**	**चायना प्रजाति**
(क) लीन सीजन में	8–10 कि.ग्रा. प्रति मा.दि.	6–7 कि.ग्रा. प्रति मा.दि.
(ख) फ्लशिंग सीजन में	10–14 कि.ग्रा. प्रति मा.दि.	8–10 कि.ग्रा. प्रति मा.दि.

15. प्रूनिंग कार्य/स्कीपिंगः–

अ– (क) यंग टी प्रूनिंग (Decenter +kco+ cut-across)– 12 टंग प्रति मानव दिवस

(ख) यंग टी एलओएस (Levelling Skiff) – 100 टंग प्रति मानव दिवस

(ग) यंग टी एलएस (Light Skiff) – 75 टंग प्रति मानव दिवस

(घ) यंग टी डीएस (Deep Skiff) – 12 टंग प्रति मानव दिवस

ब– (क) मैच्योर टी प्रूनिंग (Recenter +kco+ cut-across)– 7 टंग प्रति मानव दिवस

(ख) मैच्योर टी एलओएस (Levelling Skiff) – 80 टंग प्रति मानव दिवस

(ग) मैच्योर टी एलएस (Light Skiff) – 60 टंग प्रति मानव दिवस

(घ) मैच्योर टी डीएस (Deep Skiff) – 7 टंग प्रति मानव दिवस

(ङ) एल0पी0 – 12–15 टंग प्रति मानव दिवस

16. नैपियर कटिंग काटना/बनाना – 2400 कटिंग प्रति मानव दिवस

17. नैपियर कटिंग लगाना – 1200 कटिंग प्रति मानव दिवस

18. 6 इंच मोटी मल्चिंग (यंग टी में) – 13 टंग प्रति मानव दिवस

19. जंगल से मल्चिंग मटीरियल जमा करना – 80 कि.ग्रा. प्रति मानव दिवस

20. 8 इंच ऊची रूटींग बैड तैयार करना – 1/2 स्टैन्डर्डबैड(20.5 फिट X 5फिट)

21. 8 इंच ऊँची स्लीव बैड तैयार करना – 1 स्टैन्डर्ड बैड (41 फिट X 5फिट)

22. थैली हेतु मिट्टी खुदान एवं छानन/ढुलान – 500 कि0ग्रा0 (350 थैलियों हेतु)

23. थैली भरान – 350 थैली प्रति मानव दिवस

24. क्लोनल कटिंग बनाना – 1200 कटिंग प्रति मानव दिवस

25. कटिंग रूटिंग बैड में लगाना – 1200 कटिंग प्रति मानव दिवस

26. कटिंग रूटिंग से थैलियों में लगाना – 1200 कटिंग प्रति मानव दिवस

27. सीड नर्सरी में फुव्वारे से पानी डालना – 12 बैड प्रति मानव दिवस

28. कटिंग नर्सरी में फुव्वारे से पानी डालना – 10 बैड प्रति मानव दिवस

29. नर्सरी में बैड/पौधों से घास निकालना – 2 बैड प्रति मानव दिवस

30. नर्सरी में बैड/पौधों में खाद डालना – 3 बैड प्रति मानव दिवस

31. नर्सरी पौधों की सोर्टिंग करना – 2 बैड प्रति मानव दिवस

1 टंग = 12 फिट X 12 फिट , 1 हैक्टेयर = 750 टंग , 50 नाली = 1 हैक्टेयर

(30)

आदेश

शासन के पत्र संख्या–358743/ई–पत्रा0 सं0–63472/XIII–1/2026 दिनांक 06 जनवरी, 2026 एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, के पत्र दिनांक 20–11–2025 के क्रम में ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम के अनुसार उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के अन्तर्गत शिकायत निवारण तंत्र गठित कर उसमें निम्नानुसार शिकायत अधिकारी व सदस्य नामित किये जाते हैं:–

1. श्री महेन्द्रपाल, निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, – शिकायत अधिकारी
2. श्री अनिल खोलिया, उप निदेशक, उत्तराखण्डचाय विकास बोर्ड – सदस्य
3. डा0 भूपेन डेका, चाय विशेषज्ञ, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड – सदस्य

8/1/2026
(महेन्द्रपाल)
निदेशक

कार्यालयः–उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक 815 /6–39/शासन/शि0नि0तंत्र/2025–26 दिनांक 08 जनवरी, 2026

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– उप सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– उप निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
3– वित्त अधिकारी/चाय विशेषज्ञ, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
4– मृदा वैज्ञानिक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, भवाली, (नैनीताल)।
5– समस्त प्रबन्धक/सहा0प्रब0/प्रभारी, चाय बागान कौसानी, घोड़ाखाल, चम्पावत, नौटी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़।
6– नोटिस बोर्ड में चस्पा।

निदेशक 8/1/2026